E-Mail

सं. ई-11020/1/2021-हिन्दी

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

(राजभाषा प्रभाग)

कक्ष संख्या 22108, द्वितीय तल,
कर्तव्य भवन-2, नई दिल्ली,
दिनांक: 08.09. 2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित छमाही हिंदी पत्रिका 'संस्कृति' में प्रकाशनार्थ लेख/रचनाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में।

भारतीय संस्कृति के विभिन्न विषयों जैसे कि भारतीय जीवन-मूल्यों, आध्यात्मिक मान्यताओं, दर्शन, कला, साहित्य, सांस्कृतिक परम्पराओं तथा प्राचीन धरोहरों आदि पर एक ई-पत्रिका **'संस्कृति'** का अर्धवार्षिक आधार पर प्रकाशन किया जा रहा है। इसके लिए भारतीय संस्कृति से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में आम जनमानस को अवगत कराने के उद्देश्य से **'संस्कृति'** पत्रिका में प्रकाशन हेतु भारतीय लेखकों/साहित्यकारों से मूल रूप से हिंदी में लिखी गई रचनाएं/लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख/रचनाएं सरल, सुबोध और सूचनापरक होनी चाहिए जोकि शोधार्थियों के लिए भी उपयोगी हों। संपादक मंडल द्वारा लेख उपयुक्त पाए जाने पर भेजी गई रचना/लेख को आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए लेखकों/रचनाकारों को मानदेय स्वरूप नकद राशि का भुगतान भी किया जाएगा। यह लेख पत्रिका के पाँच अथवा अधिकतम छह पृष्ठों तक सीमित होने चाहिए।

उपरोक्त के संबंध में सभी लेखकों को सूचित किया जाता है कि अपने द्वारा लिखित लेख/रचना (संगत चित्रों सहित) यूनीकोड मंगल फॉन्ट में टाइप कराकर और उसे भली-भांति जाँचने के बाद पासपोर्ट साइज के अपने फोटोग्राफ के साथ ई-मेल sanskriti.patrikamoc@gmail.com पर अग्रेषित करें:

इसके साथ ही लेखक अपनी रचना/लेख के बारे में स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी दें कि सम्बन्धित रचना/लेख मूलत: उनका स्वयं का लिखा हुआ है और इससे पूर्व वह कहीं और प्रकाशित नहीं हुआ है। **(प्रमाणन के लिए प्रपत्र का प्रारूप इसके साथ संलग्न है)। चयन प्रक्रिया के पश्चात प्रकाशित लेख के लिए मानदेय स्वरूप 3000/- रु. बैंक के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।**

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि।

(मनोज कुमार चौधरी)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011 24014248

वितरण:

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/ लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/निर्वाचन आयोग/संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध, अधीनस्थ, स्वायत्त संगठन और नियंत्रणाधीन कार्यालयों में परिचालित करें।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी परिचालित करें।
4. संस्कृति मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी।
5. संस्कृति मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी।
6. सभी राज्य सरकार/सभी संघ राज्य प्रदेश/सभी संघ शासित क्षेत्र के सचिवालय।
7. संस्कृति मंत्रालय के एन आई सी को इस अनुरोध के साथ कि वे इस का.ज्ञा. को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. निदेश मिसिल।

प्रतिलिपि: सचिव/अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार/एलपी)/संयुक्त सचिव (जीएससी)/संयुक्त सचिव (एसएन)/ संयुक्त सचिव (एके)/संयुक्त सचिव (संयुक्त सचिव (केकेएम) के प्रधान/निजी सचिवों को सूचनार्थ।